वाहन जनित प्रदूषण

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2010-11

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल– 462 016 (म.प्र.)

विगत कुछ वर्षो मे वाहनों की संख्या मे निरन्तर अत्याधिक वृद्धि तथा वाहनों का सही रख-रखाव न होने के कारण शहरों में डीजल तथा पेट्रोल जनित प्रदूषण की सम्भावना बढी है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण मे कार्बन डाई ऑक्साइड, अधजला तथा ऑक्सीकृत हाईड्रो कार्बन, सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा लेड का प्रतिशत बढता जा रहा है। इनका दूष्प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं अपितु जीव-जन्तु, पेड़-पौधे तथा भूमि को भी प्रभावित करता है। कई स्थानों पर इनकी मात्रा निर्धारित मापदण्डो से अधिक है। वाहनों के अत्यधिक आवागमन व खराब सडकों से वातावरण मे निलम्बित विविक्त पदार्थ (एस.पी.एम.) की मात्रा मे भी वृद्धि हुई है ।

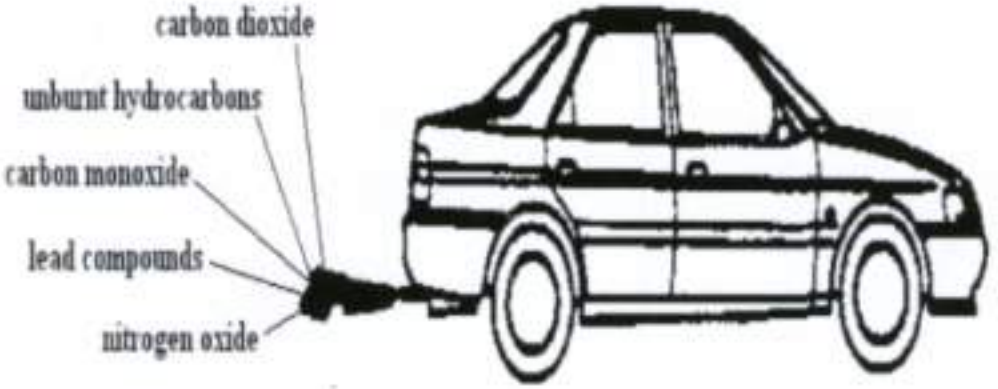

अतः त्वरित कार्यवाही हेतु **मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम,1981 की धारा 17 उपधारा 1कंडिका "जी" मे प्रदत्त शक्तियों के अनुसार पेट्रोल/डीजल चलित मोटर वाहनों के उत्सर्जन के लिए निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की सूची एवं मॉनीटरिंग परिणाम क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, **परिवहन विभाग** को **मोटर व्हीकल अधिनियम, 1989** मे दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराये जाते है।

वाहन उत्सर्जन मापन हेतु कार्यप्रणाली :-

वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य निम्नानुसार **दो श्रेणी** मे विभक्त किया गया है :-

प्रथम श्रेणी -

पेट्रोल चलित वाहन के अन्तर्गत 2 व्हीलर्स 0.5 अश्वशक्ति से कम तथा 0.5 अश्वशक्ति से अधिक (2स्ट्रोक तथा4 स्ट्रोल) एवं 3 व्हीलर्स तथा 4 व्हीलर्स वाहनों मे कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिशत तथा हाइड्रोकार्बन की मात्रा (पी.पी.एम. में) का मापन किया जाता है।

द्वितीय श्रेणी -

डीजल चलित वाहनों के अन्तर्गत 3 व्हीलर्स तथा4 व्हीलर्स की स्मोक डेन्सिटी (एचएसयू में) का परीक्षण किया जाता है।

वाहनों के उत्सर्जन मापन का लक्ष्य :-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर बोर्ड की समस्त प्रयोगशालाओं से प्रदेश के विभिन्न शहरों मे वाहनों के उत्सर्जन की जाँच की जाती है इस हेतु **वार्षिक कार्यक्रम** के अन्तर्गत प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्य अनुसार मॉनीटरिंग कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्ष 2010-2011 के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य कुल 13080 वाहनों के उत्सर्जन की जाँच का था।

वाहन उत्सर्जन मापन की उपलब्धिः-

वित्तीय वर्ष 2010-2011 मे वाहन उत्सर्जन की जाँच हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य कुल 13080 वाहनों के विरूद्ध कुल 14432 वाहनों के उत्सर्जन की जाँच कर 110.3 प्रतिशत कार्य सम्पादित किया गया। समस्त प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये कार्यो की उपलब्धियों का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

लक्ष्य उपलब्धि का विवरण वर्ष 2010-11				
क	प्रयोगशाला	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	Bhopal	1500	1663	110.9
2	Ujjain	1500	1514	100.9
3	Indore	1500	1922	128.1
4	Dhar	1200	1041	86.8
5	Gwalior	1500	2123	141.5
6	Guna	1080	534	49.4
7	Jabalpur	1500	2571	171.4
8	Rewa	900	902.0	100.2
9	Satna	600	649	108.2
10	Shahdol	600	374	62.3
11	Sagar	1200	1139	94.9
	TOTAL	13080	14432	110.3

वर्ष 2010-11 में कुल 14432 वाहनों के उत्सर्जन की जाँच में से 2419 वाहन निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये अर्थात 16.76 % वाहन प्रदूषण कारक है। इनमें से 24 प्रतिशत पेट्रोल चलित वाहन तथा 76 प्रतिशत डीजल चलित वाहन

मापन से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये है अर्थात डीजल चलित वाहनों से प्रदूषण अधिक हो रहा है।

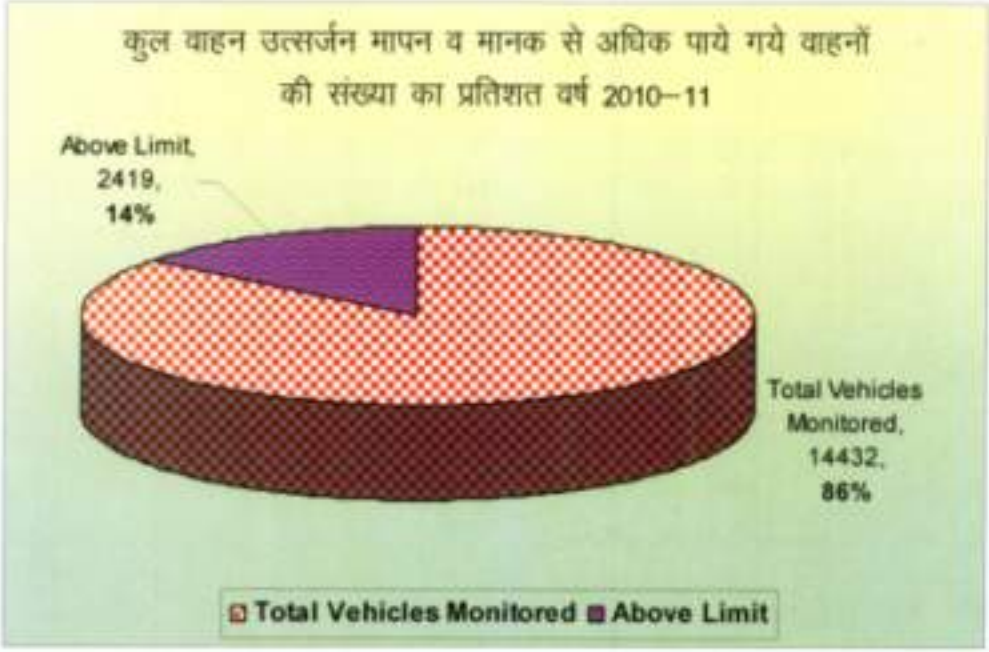

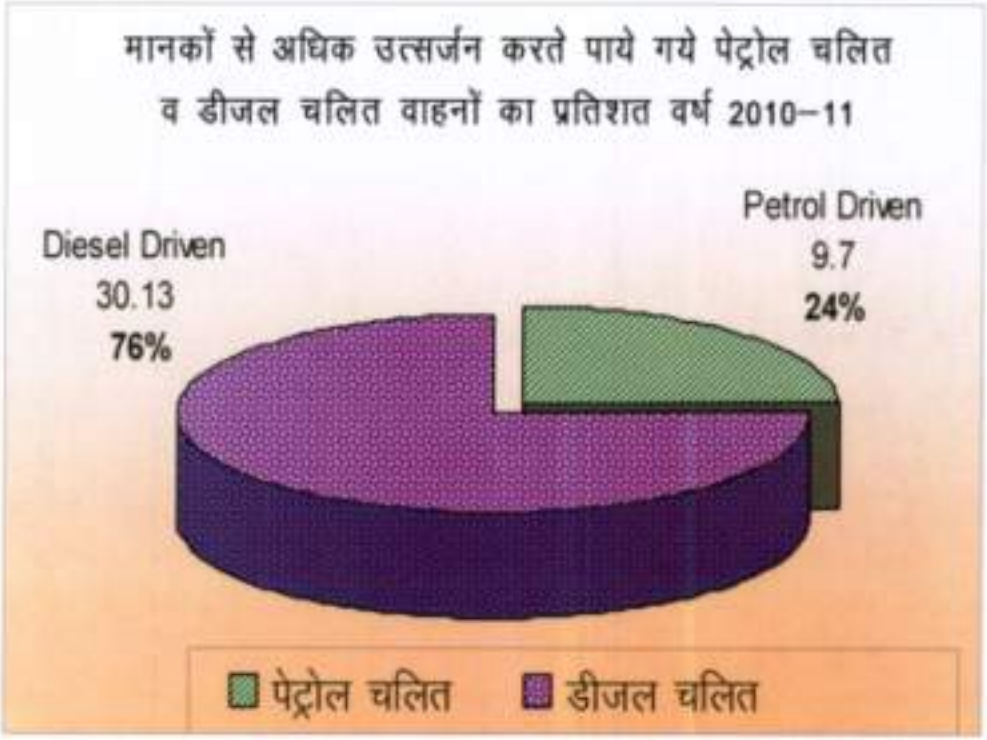

पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहन उत्सर्जन मापन वर्ष 2010-11

SL. NO	CITIES	NUMBER OF MONITORED VEHICLES	NUMBER OF VEHICLES BEYOND LIMITS	% OF VEHICLES FOUND BEYOND LIMITS
1	Bhopal	1539	104	6.76
2	Raisen	124	3	2.42
3	Ujjain	741	113	15.25
4	Ratlam	125	0	0.00
5	Shajapur	125	6	4.80
6	Neemuch	125	0	0.00
7	Dewas	398	17	4.27
8	Indore	1922	697	36.26
9	Dhar	305	40	13.11
10	Jhabua	100	9	9.00
11	Pithampur	636	84	13.21
12	Gwalior	1872	576	30.77
13	Morena	211	63	29.86
14	Bhind	40	0	0.00
15	Guna	334	52	15.57
16	Ashok Nager	74	4	5.41
17	Rajgarh	50	2	4.00
18	Shivpuri	76	6	7.89
19	Jabalpur	1383	204	14.75
20	Chhindwara	745	109	14.63
21	Katni	443	96	21.67
22	Rewa	902	79	8.76
23	Satna	649	51	7.86
24	Shahdol	374	66	17.65
25	Sagar	1139	38	3.34
	TOTAL	14432	2419	16.76

वर्ष 2009-10 में कुल 8376 वाहनों के उत्सर्जन की जाँच में से 1080 वाहन निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये

अर्थात 12.89 % वाहन प्रदूषण कारक है।पेट्रोल चलित वाहन में 27 प्रतिशत व डीजल चलित वाहनों में 73 प्रतिशत वाहन मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये है। विवरण निम्नानुसार है :-

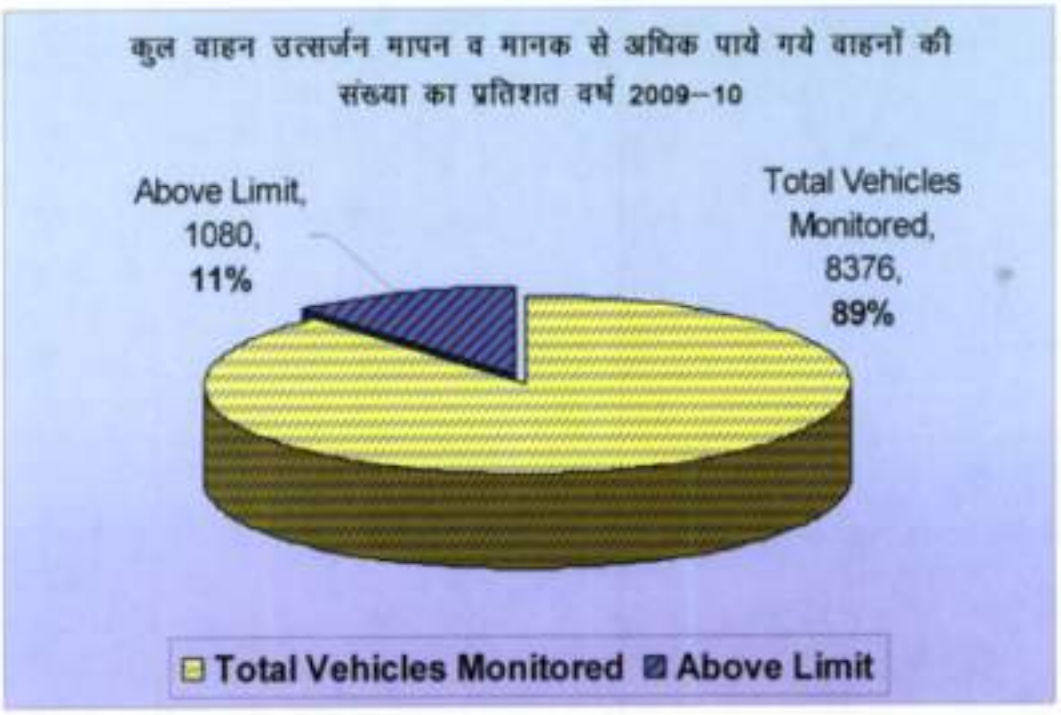

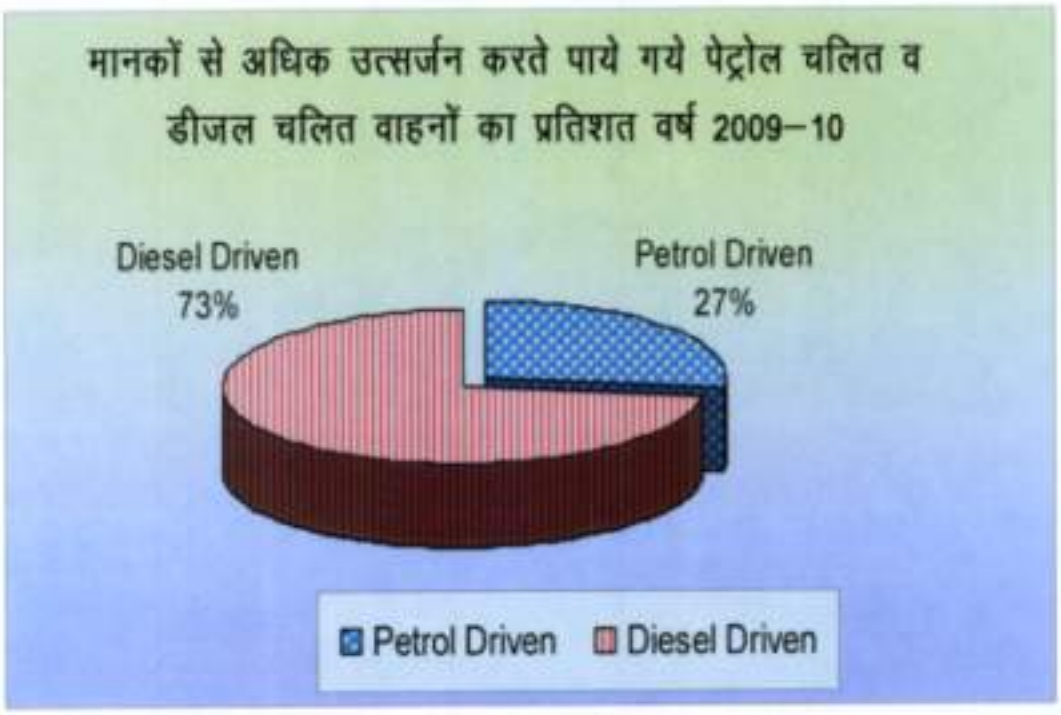

पेट्रोल एवं डीजल चलित वाहन उत्सर्जन मापन वर्ष वर्ष-2009-10

SL. NO	CITIES	NUMBER OF MONITORED VEHICLES	NUMBER OF VEHICLES BEYOND LIMITS	% OF VEHICLES FOUND BEYOND LIMITS
1	Bhopal	1296	55	4.2
2	Vidisha	172	4	2.3
3	Sehore	105	5	4.8
4	Ujjain	683	58	8.5
5	Nemach	90	0	0.0
6	Ratlam	223	5	2.2
7	Dewas	367	4	1.1
8	Guna	744	207	27.8
9	Indore	738	199	27.0
10	Dhar	552	103	18.7
11	Sagar	425	27	6.4
12	Gwalior	409	100	24.4
13	Jabalpur	1272	198	15.6
14	Chhindwara	101	0	0.0
15	Rewa	612	67	10.9
16	Satna	587	48	8.2
	TOTAL	8376	1080	12.894

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2010- 11 मे लगभग **4 प्रतिशत** प्रदूषण कारक वाहनों की वृद्धि हुई है जबकि पेट्रोल चलित वाहन एवं डीजल चलित वाहनों से प्रदूषण के प्रतिशत की स्थिति लगभग यथावत है । वर्ष 2009-10 में प्रदेश के गुना शहर में एवं वर्ष 2010-11 में कटनी शहर पेट्रोल चलित वाहनों से सर्वाधिक प्रदूषण प्रदर्शित हुआ है ।

प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल चलित वाहन उत्सर्जन की मॉनीटरिंग

वर्ष : 2009-10

SL.NO	CITIES	NUMBER OF MONITORED VEHICLES	NUMBER OF VEHICLES BEYOND LIMITS	% OF VEHICLES FOUND BEYOND LIMITS
1	Bhopal	1220	53	4.34
2	Vidisha	96	2	2.08
3	Sehore	105	5	4.76
4	Ujjain	615	10	1.63
5	Nemach	90	0	0
6	Ratlam	208	0	0
7	Dewas	347	1	0.29
8	Indore	237	15	6.33
9	Dhar	102	17	16.7
10	Sagar	380	26	6.84
11	Gwalior	261	13	4.98
12	Jabalpur	768	124	16.4
13	Chhindwara	70	0	0
14	Satna	480	24	5
15	Rewa	345	41	11.9
16	Guna	679	193	28.4
	Total	6003	524	8.73

प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल चलित वाहन उत्सर्जन की मॉनीटरिंग

वर्ष :2010-11

SL.NO	CITIES	NUMBER OF MONITORED VEHICLES	NUMBER OF VEHICLES BEYOND LIMITS	% OF VEHICLES FOUND BEYOND LIMITS
1	Bhopal	1484	94	6.3
2	Raisen	124	3	2.4
3	Ujjain	613	20	3.3
4	Ratlam	125	0	0
5	Shajapur	125	6	4.8
6	Neemuch	105	0	0
7	Dewas	310	5	1.6
8	Indore	105	0	0
9	Dhar	131	10	7.6
10	Pithampur	185	24	13
11	Gwalior	598	52	8.7
12	Morena	9	0	0
13	Bhind	34	0	0
14	Guna	261	41	16
15	Ashok Nager	74	4	5.4
16	Rajgarh	50	2	4
17	Shivpuri	76	6	7.9
18	Jabalpur	882	139	16
19	Chhindwara	337	26	7.7
20	Katni	423	94	22
21	Rewa	902	79	8.8
22	Satna	518	40	7.7
23	Shahdol	88	0	0
24	Sagar	1089	38	3.5
	Total	7559	645	9.7

प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल चलित वाहनों से उत्सर्जनः- वर्ष 2009-10

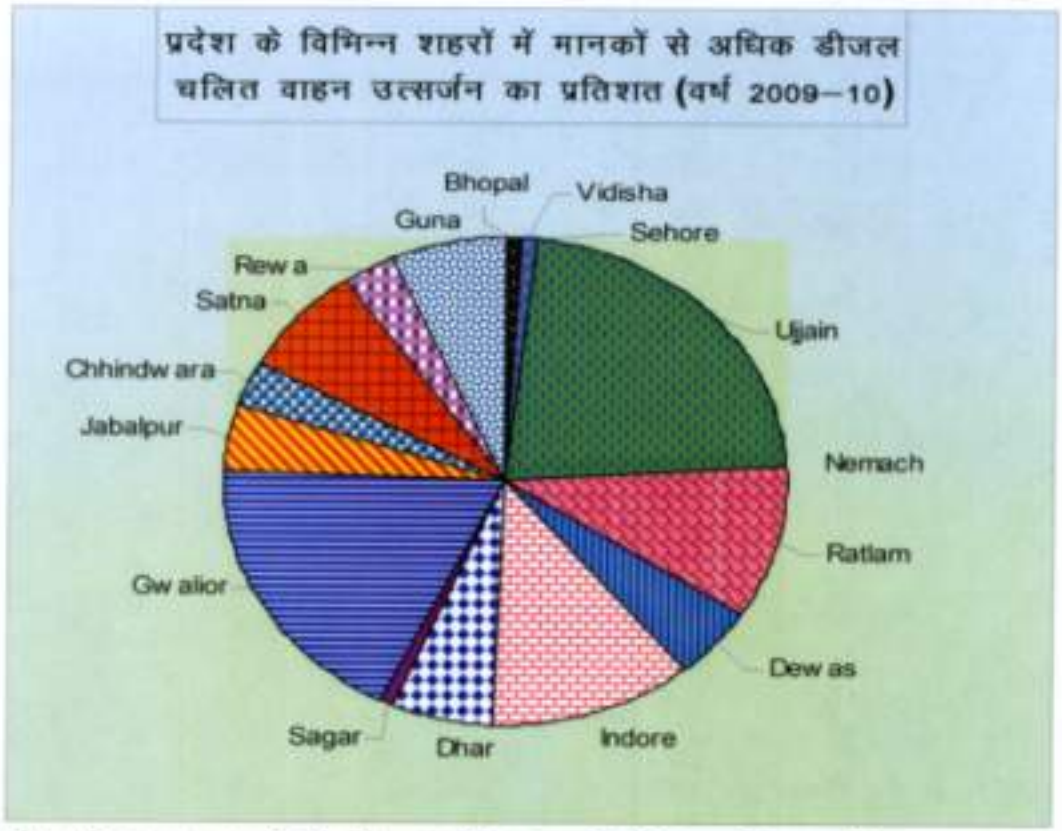

प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल चलित वाहनों से उत्सर्जनः- वर्ष 2010-11

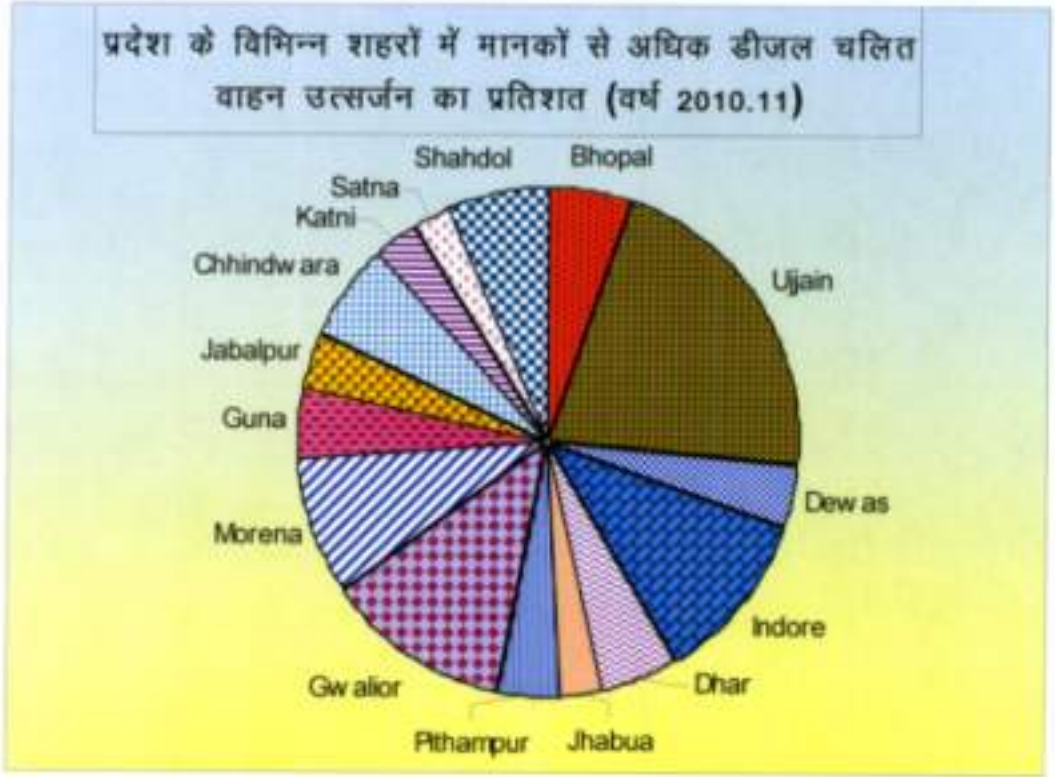

वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में **उज्जैन** शहर डीजल चलित वाहनों से सर्वाधिक प्रदूषण प्रदर्शित हुआ है। उज्जैन तथा ग्वालियर मे प्रदूषणकारी डीजल वाहनों की संख्या मे कमी लाने हेतु लोकपरिवहन के डीजल चलित वाहनों का कमंशः बंद करते हुए कम प्रदूषणकारी पेट्रोल अथवा LPG/CNG से चलने वाले वाहनों का संचालन किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल चलित वाहनों की मॉनीटरिंग

वर्ष : 2009-10

SL.NO	CITIES	NUMBER OF MONITORED VEHICLES	NUMBER OF VEHICLES BEYOND LIMITS	% OF VEHICLES FOUND BEYOND LIMITS
1	Bhopal	76	2	2.63
2	Vidisha	76	2	2.63
3	Ujjain	68	48	70.59
4	Ratlam	15	5	33.33
5	Dewas	20	3	15
6	Indore	501	184	36.73
7	Dhar	450	86	19.11
8	Sagar	45	1	2.22
9	Gwalior	148	87	58.78
10	Jabalpur	504	74	14.68
11	Chhindwara	31	0	9.7
12	Satna	107	24	22.43
13	Rewa	267	26	9.74
14	Guna	65	14	21.54
	Total	2373	556	23.43

प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल चलित वाहनों से उत्सर्जन मॉनीटरिंग
वर्ष : 2010-11

SL.NO	CITIES	NUMBER OF MONITORED VEHICLES	NUMBER OF VEHICLES BEYOND LIMITS	% OF VEHICLES FOUND BEYOND LIMITS
1	Bhopal	55	10	18.18
2	Ujjain	128	93	72.66
3	Neemuch	20	0	0.00
4	Dewas	88	12	13.64
5	Indore	1817	697	38.36
6	Dhar	174	30	17.24
7	Jhabua	100	9	9.00
8	Pithampur	451	60	13.30
9	Gwalior	1274	524	41.13
10	Morena	202	63	31.19
11	Bhind	6	0	0.00
12	Guna	73	11	15.07
13	Jabalpur	501	65	12.97
14	Chhindwara	408	83	20.34
15	Katni	20	2	10.00
16	Satna	131	11	8.40
17	Shahdol	286	66	23.08
18	Sagar	50	0	0.00
	Total	5729	1726	30.13

प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल चलित वाहनों से उत्सर्जनः- वर्ष 2009-10

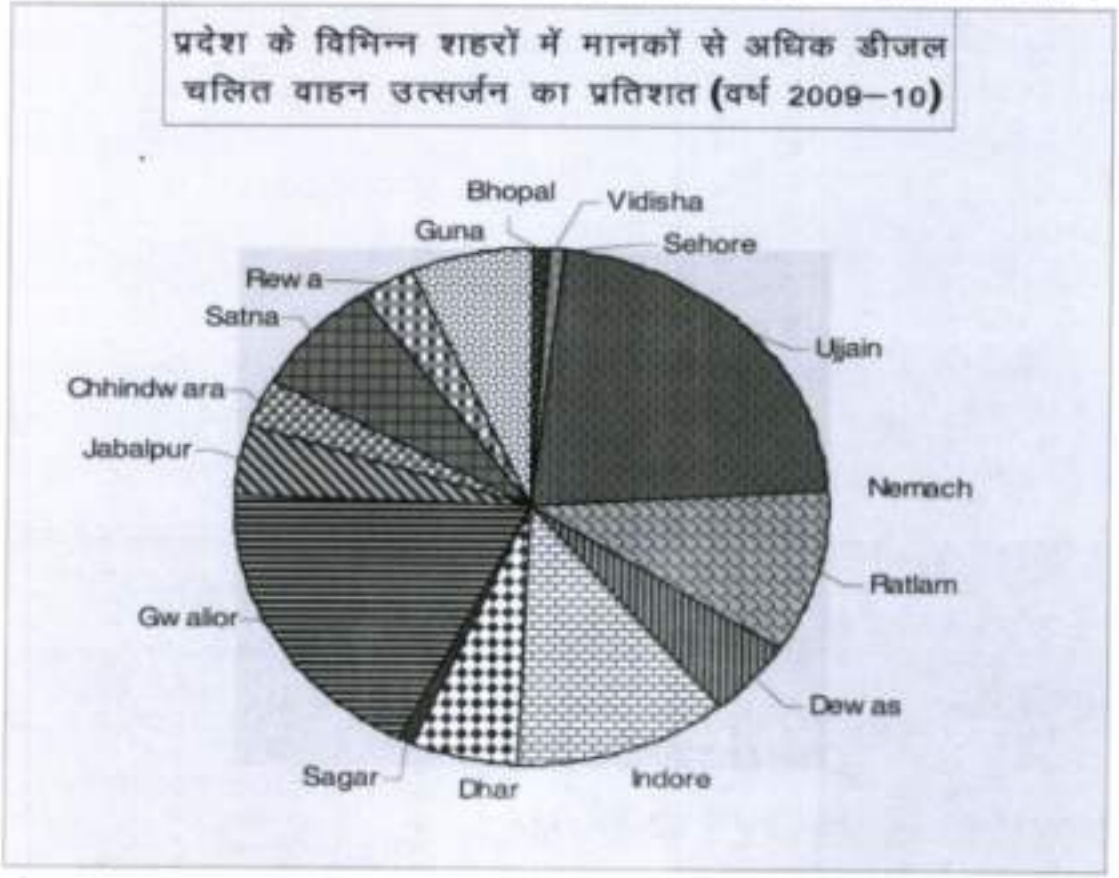

प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल चलित वाहनों से उत्सर्जनः- वर्ष 2010-11

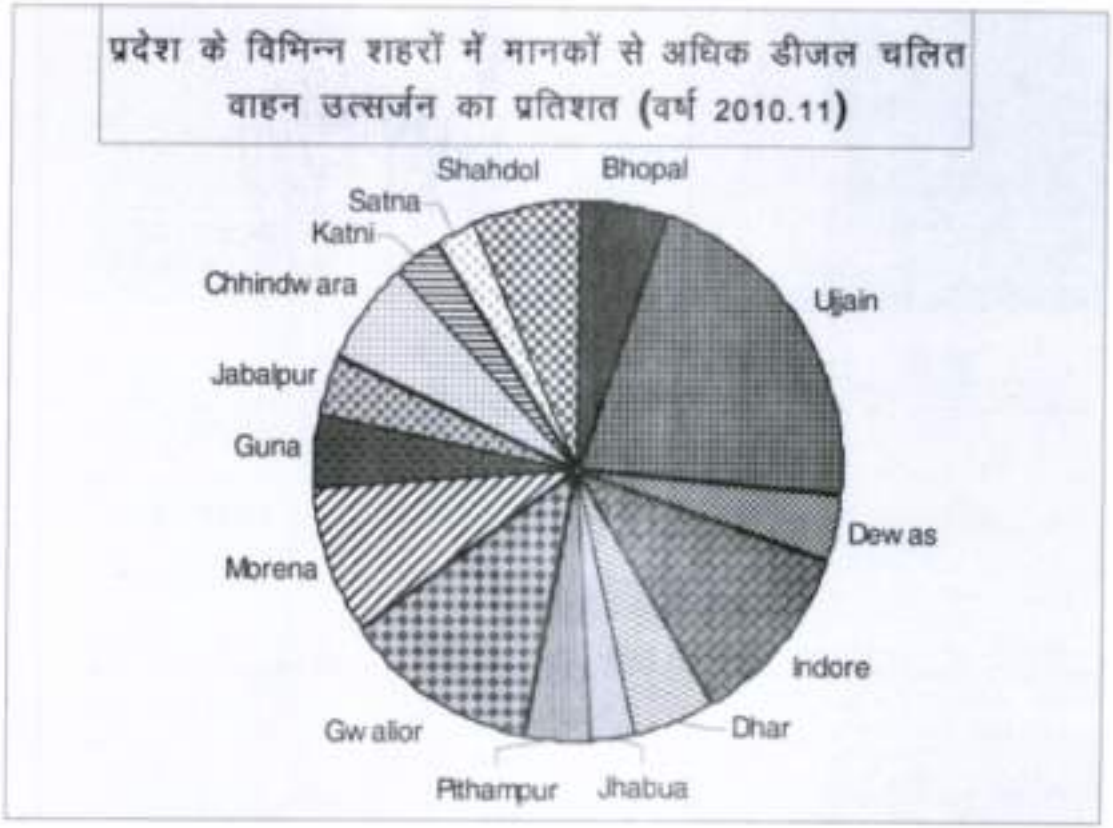

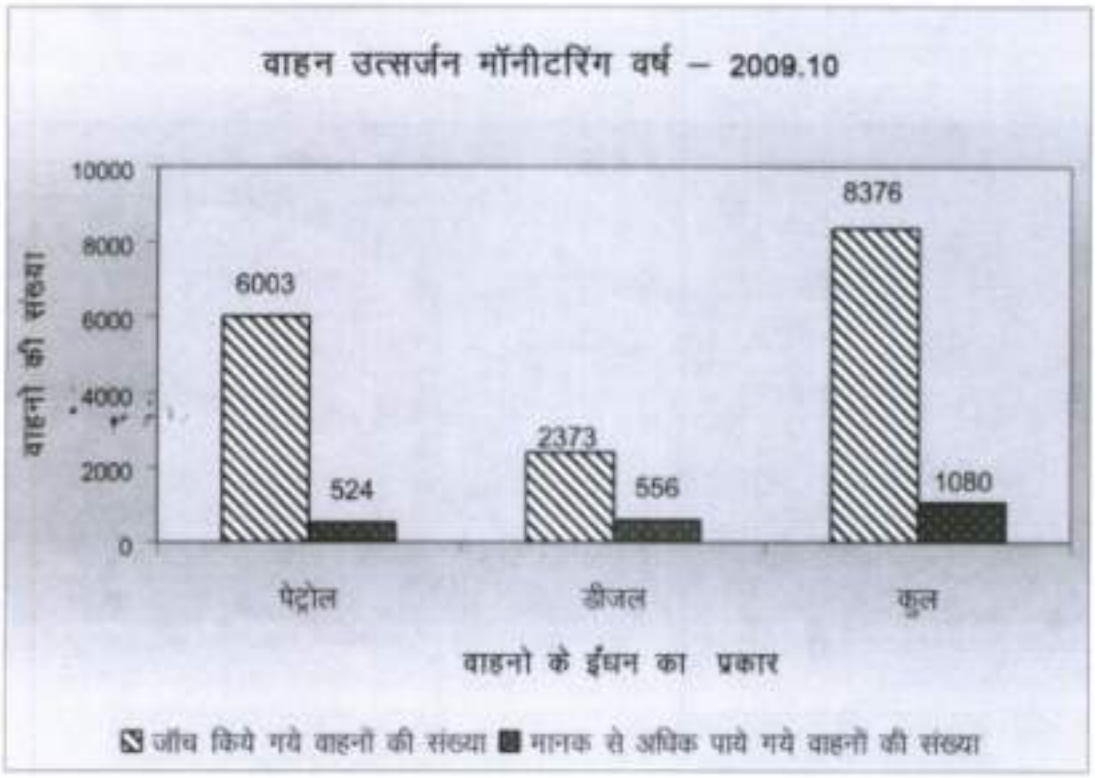
वाहन उत्सर्जन मॉनीटरिंग वर्ष – 2009.10
वाहनो की संख्या
10000
8000
6000
4000
2000
0
6003
524
2373
556
8376
1080
पेट्रोल
डीजल
कुल
वाहनो के ईंधन का प्रकार
जाँच किये गये वाहनों की संख्या
मानक से अधिक पाये गये वाहनों की संख्या

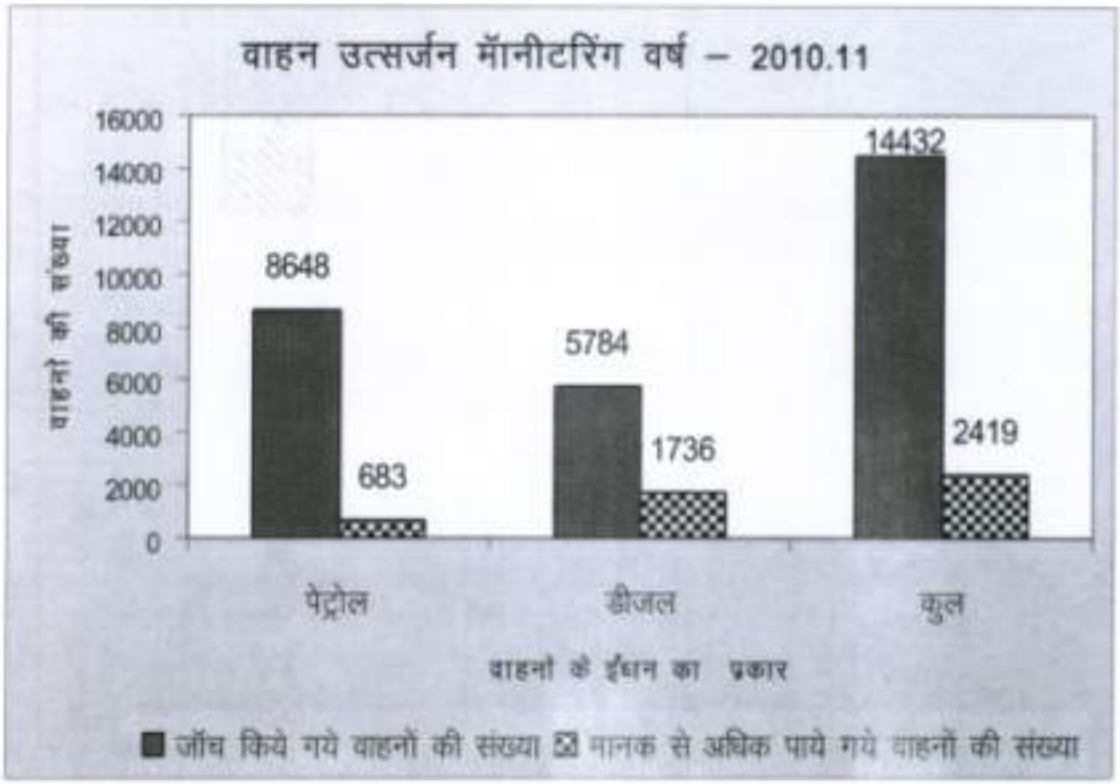
वाहन उत्सर्जन मॉनीटरिंग वर्ष – 2010.11
वाहनो की संख्या
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
8648
683
5784
1736
14432
2419
पेट्रोल
डीजल
कुल
वाहनों के ईंधन का प्रकार
जाँच किये गये वाहनों की संख्या
मानक से अधिक पाये गये वाहनों की संख्या

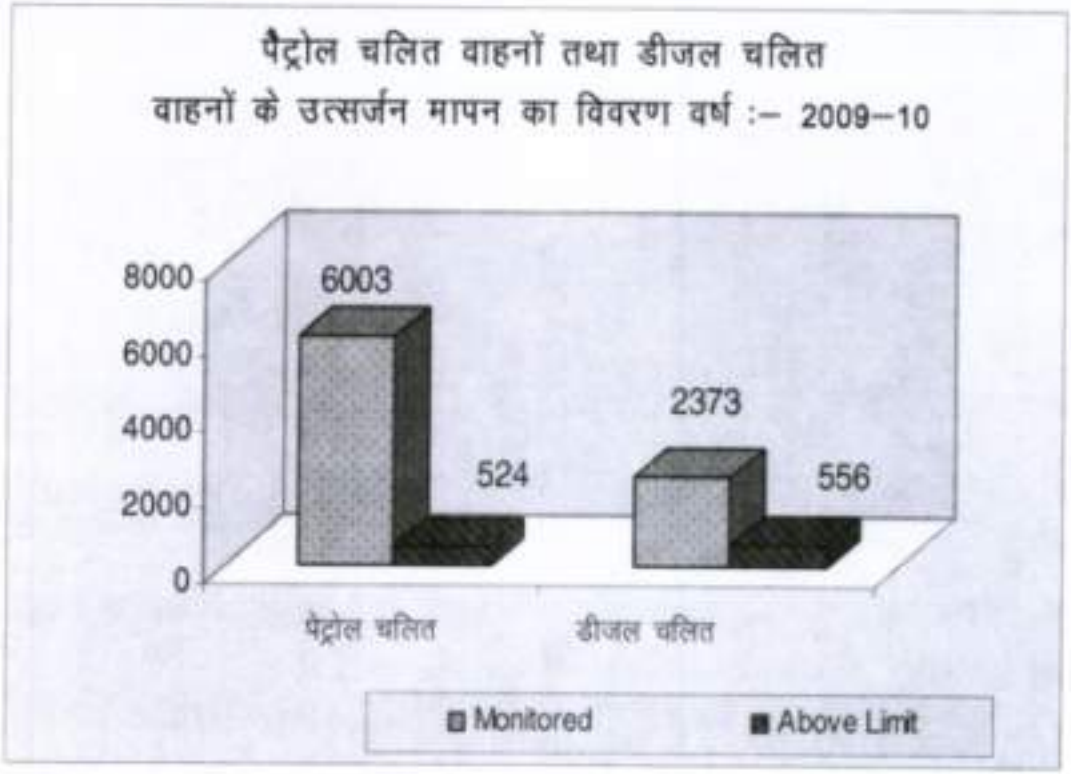
पैट्रोल चलित वाहनों तथा डीजल चलित
वाहनों के उत्सर्जन मापन का विवरण वर्ष :– 2009–10
8000
6000
4000
2000
0
6003
524
2373
556
पेट्रोल चलित
डीजल चलित
Monitored
Above Limit

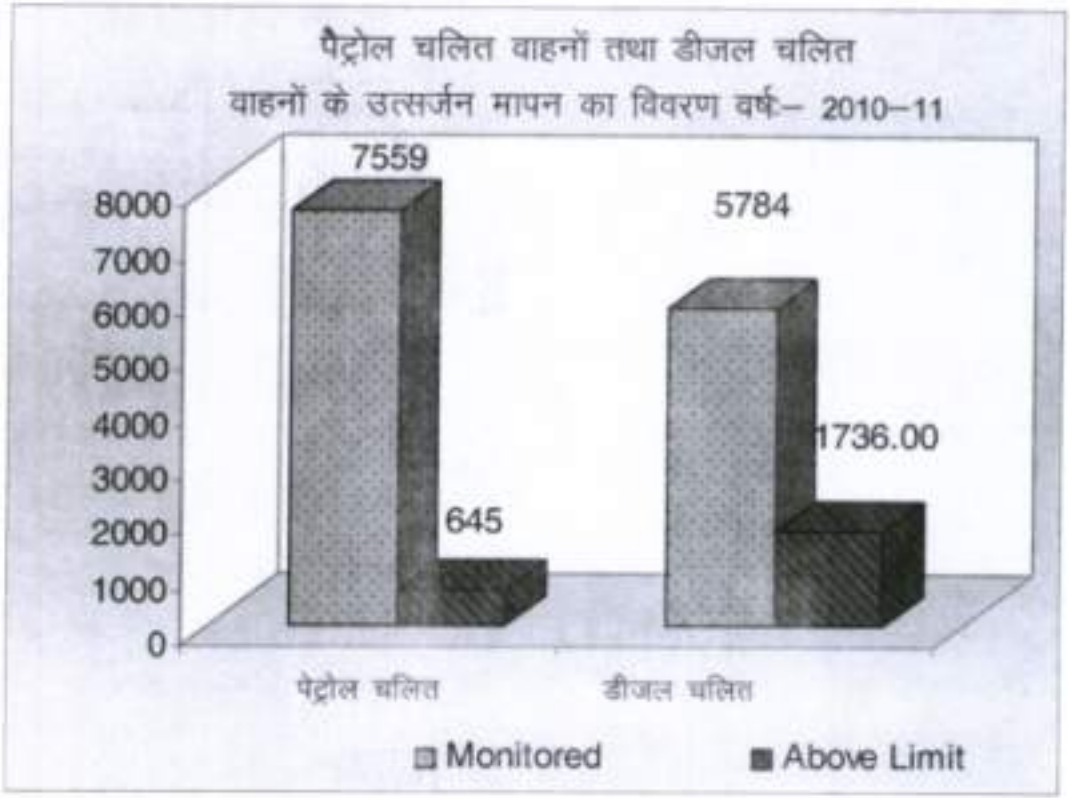
पैट्रोल चलित वाहनों तथा डीजल चलित
वाहनों के उत्सर्जन मापन का विवरण वर्ष– 2010–11
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
7559
645
5784
1736.00
पेट्रोल चलित
डीजल चलित
Monitored
Above Limit

डीजल चलित वाहन उत्सर्जन

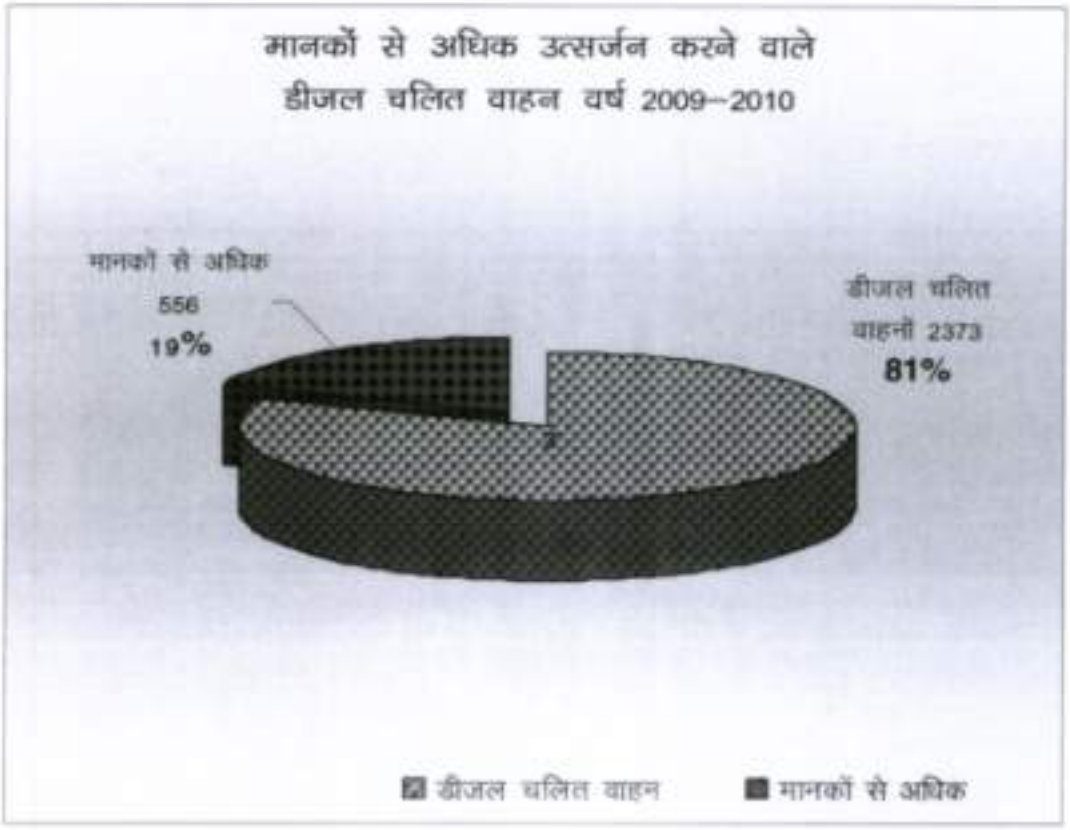

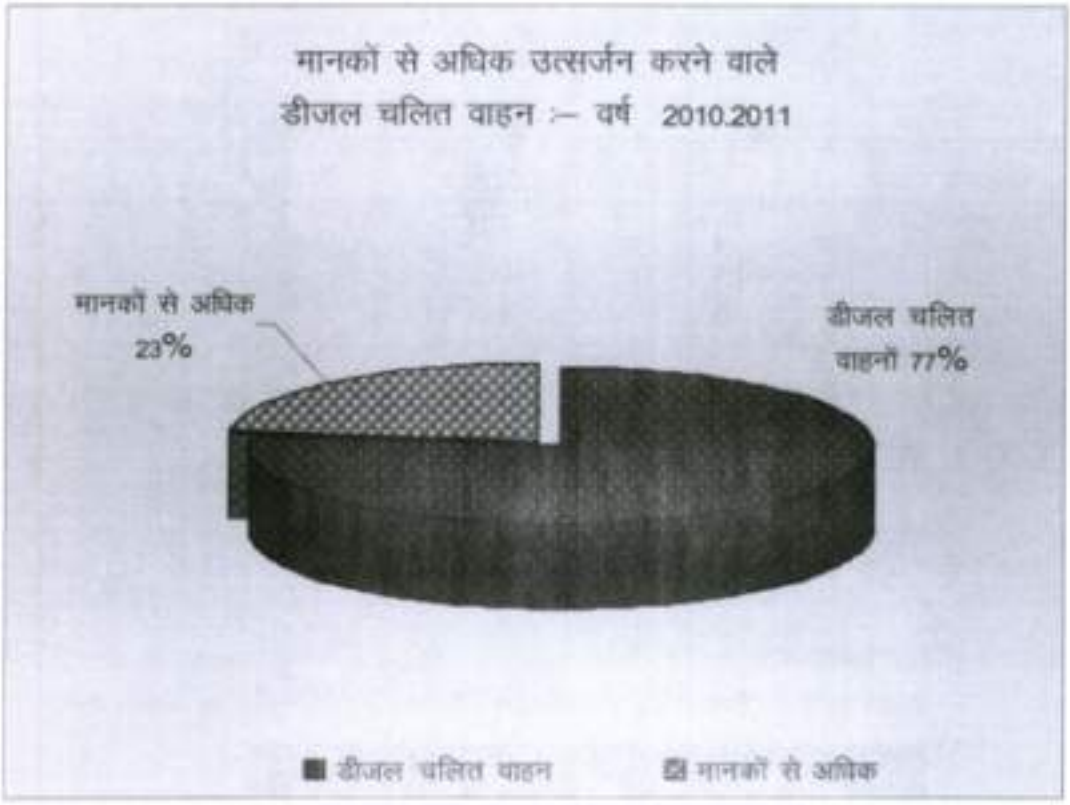

मध्य प्रदेश में वर्ष 2010–2011 में किये गये पेट्रोल चलित वाहनों का विवरण

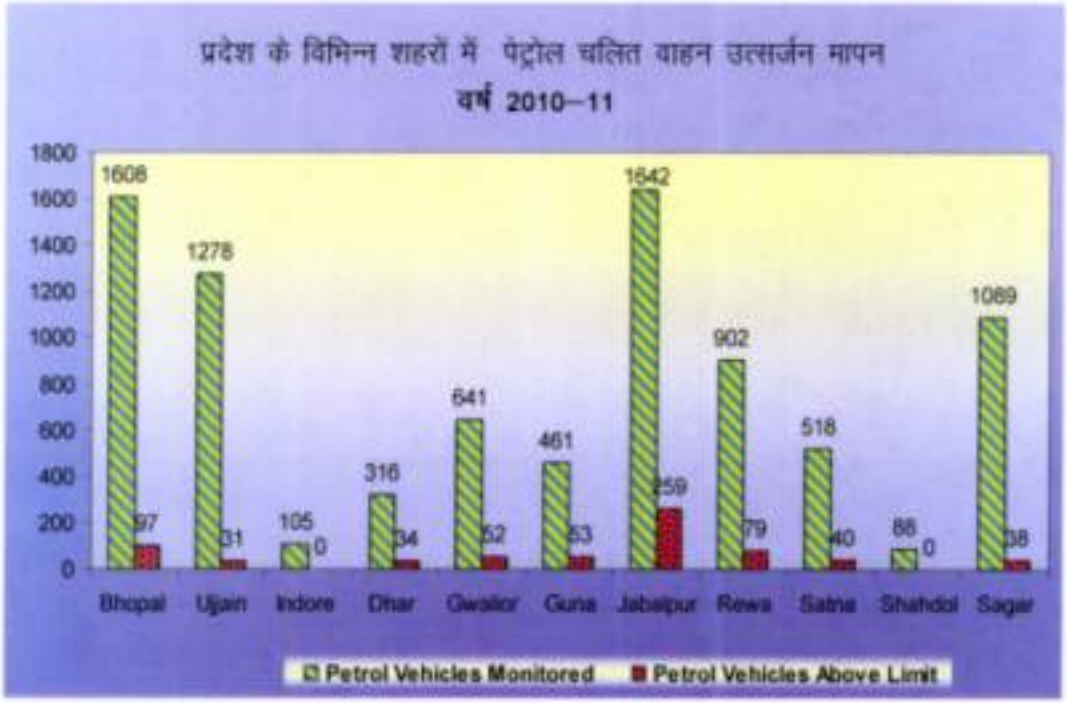

मध्य प्रदेश में वर्ष 2010–2011 में किये गये डीजल चलित वाहनों का विवरण

वर्ष 2010–2011 में बोर्ड की **इन्दौर प्रयोगशाला** द्वारा सर्वाधिक 1817 डीजल चलित वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया तथा बोर्ड की **जबलपुर प्रयोगशाला** द्वारा सर्वाधिक 1642 पेट्रोल चलित वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों, पम्पलेट आदि के द्वारा निम्नलिखित सुझाव एवं जानकारी दी जाती है :-

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित जाँच ।

(2) ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों द्वारा प्रदाय किये जा रहे तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जाँच।

(3) अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना ।

(4) शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जाँच किया जाना ।

(5) वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश वाहनों की जाँच के समय दी जानी चाहिए ।

(6) पेट्रोल तथा डीजल चलित लोकपरिवहन वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) का उपयोग किया जाना।

(7) परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित उत्सर्जन जाँच एवं निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों विशेषकर लोकपरिवहन वाहनों के विरुद्ध कडाई से दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही उत्सर्जन की जाँच हेतु अधिक से अधिक जाँच केन्द्र स्थापित किये जावें ।

वाहन प्रदूषण के कुप्रभाव :-

मोटर वाहनों का धुआं मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वातावरण मे कार्बन डाई ऑक्साइड, अधजला तथा ऑक्सीकृत हाईड्रो कार्बन, सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा लेड का प्रतिशत बढता जा रहा है। इनका दूष्प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं अपितु जीव-जन्तु, पेड़-पौधे तथा भूमि को भी प्रभावित करता है।

कार्बन डाइ ऑक्साइड :- जो कि वाहनों के उत्सर्जन में लगभग 14 प्रतिशत होती है, की वृद्धि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक होती है।

कार्बन मोनो ऑक्साइड :- दिल के मरीजों के लिये जानलेवा सिद्ध हो सकती है। वाहनों के धुएं में अत्याधिक मात्रा में ओजोन गैस भी होती है जो हवा के साथ मिलकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। इन दोनों गैसों से आंखों में जलन, खांसी व छाती में घुटन महसूस होती है और श्वास रोगों को बढ़ावा मिलता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है।

नाइट्रोजन के ऑक्साइड :- श्वास की नलियों में अवरोध पैदा करते हैं एवं उच्च से ईंधन से **हाइड्रो कार्बन** के साथ मिलकर फोटो केमिकल कुहरा (Photochemical – smog) बनाते हैं। इसके फलस्वरूप आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा हो सकती है ।

लेड (सीसा) :- यह वाहनों के उत्सर्जन में सबसे खतरनाक तत्व होता है तथा इसका मानव शरीर पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिये यह बेहद खतरनाक है तथा वयस्क मानव शरीर में प्रजनन अंगों को भी प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी इलाकों में गाड़ियों के इस धुएं से सर्वाधिक प्रभावित वह ट्रैफिक सिपाही होता है जो धुएं से भरे चौराहे पर बीचों-बीच खड़ा रहता है।

निष्कर्ष :-

वर्ष 2010-11 मे प्रदेश के कुल 24 शहरों मे 7559 पेट्रोल चलित वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया जिसमें से 645 वाहन (9.7 प्रतिशत) निर्धारित मानक सीमा से अधिक उत्सर्जित करते पाये गये। सर्वाधिक पेट्रोल चलित वाहन 1484 का परीक्षण कार्य भोपाल नगर में किया गया, इसमे से 94 वाहन (6.33प्रतिशत) प्रदूषण करते पाये गये।

डीजल चलित वाहनों की मॉनीटरिंग प्रदेश के 18 शहरों में सम्पादित की गई। सर्वाधिक डीजल चलित वाहन 1817 का परीक्षण कार्य इंदौर नगर में किया गया, जिसमें से 697 वाहन (38.36 प्रतिशत) मानक सीमा से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये।

नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित वाहनों जैस टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है।

बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष **परिवहन आयुक्त,** कार्यालय परिवहन आयुक्त, ग्वालियर को जांच किये गये वाहनों का श्रेणीवार विवरण प्रेषित किया जाता है साथ ही सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को सुझाव दिये जाते हैं। जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के सतत् प्रयास भी किये जाते हैं। सम्बन्धित विभागो को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं जिन पर संबंधित विभागों द्वारा बिंदुवार समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना अपेक्षित है :-

(1) परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग द्वारा डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित उत्सर्जन जाँच एवं निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कडाई से दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही उत्सर्जन की जॉच हेतु अधिक से अधिक जॉच केन्द्र स्थापित किये जावें ।

(2) डीजल/पेट्रोल में मिलावट रोकने के लिये पेट्रोल पम्पों की आकस्मिक जॉच सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाना चाहिये ।

(3) मोटर यान के प्रदूषण की जाँच के लिए प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अधिकृत करने सम्बन्धी योजना, 2001 म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित कराई गई हे, जिसके अनुसार प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अधिकृत करने की कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाती है। प्रदेश के प्रमुख नगरों में अधिकाधिक प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित किये जावे।

(4) निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों पर अतिरिक्त टेक्स लगाने हेतु नियमों में प्रावधान किया जावे, जिससे वाहन मालिक अपनें वाहनों के रख-रखाव एवं ईधन में मिलावट के प्रति सचेत रहेंगें। लोकपरिवहन वाहनों पर तो यह नियम तत्काल लागू करानें की आवश्यकता है।

(5) महानगर के शहरी क्षेत्र में चलने वाले टेम्पो, मिनी बस, बस आदि सार्वजनिक उपयोग के लोक परिवहन वाहनों को अधिकतम दस वर्षो एवं निर्धारित अवधि के बाद फिटनेस की स्थिति अनुकूल होने पर मात्र शहरी सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलने की अनुमति दी जावें।

(6) शहरों में अधिक आवागमन वाली व्यस्त सडको को एकांगी किया जावे।

(7) प्रदेश के शासकीय / अर्धशासकीय विभागों के वाहनों की उत्सर्जन जॉच कम से कम छह माह में एक बार कराई जावे तथा वाहनों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हो, संबंधित सुधार वाहनों में किया जावे।

(8) शहरी क्षेत्र के वाहनों में तीव्र ध्वनि वाले प्रेशर हार्न प्रतिबंधित हो। तथा शहरी क्षेत्रों में प्रेशर हार्न का उपयोग प्रतिबंधित हों ।

(9) स्थानीय शासन के सहयोग से शहरों के व्यस्ततम मार्गों से अतिक्रमण हटाना तथा दोनों ओर वृक्ष लगाना, समय-समय पर सड़कों का सुधार करवाना, सड़क विभाजक (रोड डिवाईडर) का निर्माण करना आदि कार्यवाही आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जावें ।

(10) प्रदेश के सभी नगरों में केवल सीसा रहित पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जावे तथा सभी महानगरों - राजमार्ग पर स्थित ईंधन पंपों पर एल.पी.जी वितरण बिन्दुओं की संख्या बढ़ाई जाये।

.....

Prevent Air Pollution

reduce your contribution to air pollution. Take public transportation or ride a bicycle to get to work.

- Try carpooling and immediately cut gas emissions and fuel costs.
- Maintain your vehicle and get regular tune-ups to increase fuel economy.
- Modify your driving habits to consume less fuel. For example, if you stop for more than 10 seconds, except in traffic, turn off your engine.
- Use a bicycle courier service instead of vehicle courier service for short distances.